

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 90

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1653.38	181.54	1834.92	1634.38	187.00	1821.38	1684.72	190.00	1874.72	
पूंजी	18.62	...	18.62	18.62	...	18.62	24.28	...	24.28	
जोड़	1672.00	181.54	1853.54	1653.00	187.00	1840.00	1709.00	190.00	1899.00	
सांख्यिकी										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	9.02	9.02	...	9.30	9.30	...	9.48	9.48
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी										
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	18.11	104.64	122.75	12.32	107.20	119.52	...	108.84	108.84
3. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	3454	13.11	12.70	25.81	8.60	12.90	21.50	46.66	13.16	59.82
4. भारतीय सांख्यिकी संस्थान	3454	24.35	48.66	73.01	22.72	51.16	73.88	22.50	51.96	74.46
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	2.65	...	2.65	2.65	...	2.65	3.15	...	3.15
6. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी	3454	1.47	3.89	5.36	0.78	3.76	4.54	2.50	3.82	6.32
	3601	4.44	...	4.44	0.01	...	0.01	16.01	...	16.01
	3602	0.05	...	0.05	1.00	...	1.00
	5475	18.62	...	18.62	18.62	...	18.62	24.28	...	24.28
जोड़	24.58	3.89	28.47	19.41	3.76	23.17	43.79	3.82	47.61	47.61
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	9.20	...	9.20	7.30	...	7.30	12.90	...	12.90
	4552
जोड़	9.20	...	9.20	7.30	...	7.30	12.90	...	12.90	12.90
जोड़ - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	92.00	169.89	261.89	73.00	175.02	248.02	129.00	177.78	306.78	306.78
जोड़ - सांख्यिकी	92.00	178.91	270.91	73.00	184.32	257.32	129.00	187.26	316.26	316.26
कार्यक्रम कार्यान्वयन										
8. सचिवालय-सामान्य सेवाएं अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता-विशेष केन्द्रीय सहायता	2052	...	2.63	2.63	...	2.68	2.68	...	2.74	2.74
9. संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00
जोड़ - कार्यक्रम कार्यान्वयन	1580.00	2.63	1582.63	1580.00	2.68	1582.68	1580.00	2.74	1582.74	1582.74
कुल जोड़	1672.00	181.54	1853.54	1653.00	187.00	1840.00	1709.00	190.00	1899.00	1899.00
ग. आयोजना परिव्यय										
विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
केन्द्रीय आयोजना										
1. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	82.80	...	82.80	65.70	...	65.70	116.10	...	116.10
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	9.20	...	9.20	7.30	...	7.30	12.90	...	12.90
जोड़ - केन्द्रीय योजना	92.00	...	92.00	73.00	...	73.00	129.00	...	129.00	129.00
राज्य आयोजनाएं										
1. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	43601	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00
कुल जोड़	1672.00	...	1672.00	1653.00	...	1653.00	1709.00	...	1709.00	1709.00

1. मंत्रालय के सचिवालय तथा व्यय की व्यवस्था करती है।

2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के संग्रहण का एक उपयुक्त तथा मूलरूप से जुड़े कार्यक्रम को विकसित करने, सांख्यिकी में आंकड़ों के अंतर को पूरा करने तथा नीति निर्माण से संबंधित है। यह अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से अनुपूरक आंकड़े संग्रहित करता है और सारणियां बनाता है।

3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के लिए प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय लेखाओं की मानकीकृत तैयारी सहित प्रणाली विज्ञान कार्य, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टों के समेकन तथा प्रकाशन तथा भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना हेतु उत्तरदायी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो स्कीमें नामतः भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना और स्थानीय स्तर विकास हेतु बुनियादी सांख्यिकी हैं।

4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान सांख्यिकी के अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुप्रयोग के एकीकृत कार्यक्रमों का संचालन करता है। संस्थान पूर्ण रूप से सरकार की सहायता अनुदान द्वारा वित्तपोषित है।

5. कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध संस्थागत विकास, सरकारी तथा निजी क्षेत्र में क्षमता निर्माण और बुनियादी संरचना के निष्पादन प्रबंधन हेतु व्यवस्था करता है।

6. संगणक केंद्र के लिए व्यवस्था करती है जो मुख्य रूप से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान हैं।

8. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय हेतु प्रावधान है।

9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु प्रावधान किया गया है और इसे राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के अंश के रूप में योजना में शामिल किया गया है।